

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्स जज

तारीख हुकम

केसरीलाल बनाम रामफूल वगै. प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख को जारी हुये।

9.11.2022

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पर सुना गया है प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणीत है अतः प्रार्थीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 139 रकबा 5.9185 हैक्टेयर स्थित ग्राम शाहजाहानपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में आगामी तारीख पेशी तक दखल अंदाजी नहीं करे नोटिस जारी होकर पत्रावली 30.12.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

23/11/22

पत्रावली अर्थात् द.2 को और से उपलब्ध शोध सुनवाई पेश होने पर पेश हुई। प्रार्थी के पक्ष में 10 व 151 CPC पेश किया जो अतिरिक्त पत्रावली किदा नोटिस जारी होकर। पत्रावली दिनांक 29/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

25/11/22

पत्रावली पेश हुई पाठसाँन अधिकारी द्वारा है। अतः आदेश की पालना में दिनांक 20/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

26/11/22

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् प्रार्थी उपलब्ध पत्रावली काश्त। तबूली अर्थात् प्रार्थी दिनांक 25/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

27/11/22

पत्रावली पेश हुई। अर्थात् प्रार्थी उपलब्ध पत्रावली काश्त। तबूली अर्थात् प्रार्थी दिनांक 25/11/22 को पेश हो। अतः प्रार्थी का डा. प्र. अस्थायी निषेधाज्ञा अहम संज्ञा में अहम पेशी के अतिरिक्त किदा आता है। पत्रावली अर्थात् सुनवाई होकर नंबर से पेश हो अहम उम्मीद दिखित दफ्तरे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)